

Labour Commissioner Office Chhattisgarh Raipur
Block-3,2nd floor, Indrawati Bhawan ,Naya Raipur (C.G)

Website –www.cglabour.gov.in, Email id- cglc2012@gmail.com, Phone No.-0771-2443513,14,15,16

**Calculation of dearness allowance and revision of minimum wage rate for the period of
01.04.2020 to 30.09.2020 for the workers of Schedule Employment Part-I**

As per Chhattisgarh government labour department notification No.-F 10-4/2016/16 Dt. 29.03.2017, the revision of minimum wages for the employees working under the Schedule Employment Part-I, is calculated on the basis of National Consumer Price Index 271 (Jan –June'2016) 2001=100.

As per the notification No. 8/MW/Labour Commissioner/2020/1901 Dated 16.03.2020 O/o Labour Commissioner Chhattisgarh. the average National Consumer Price Index for Jul to Dec -2019 is 324 result of that the NPC are increased average of 13 (324-311=13) points from previous half yearly National Consumer Price Index that is 311, As per industrial labour bureau consumer price index 271(Jan-June-2016) 2011=100 & above average will increases of Rs. 20 per points. Resulting variable dearness allowance has increased Rs. 260/- per month (20*13) and 10 /- per day (for 26 days) and effective from 01.04.2020 to 30.09.2020.

Sd/-
(Sonmani Bora)
I.A.S
Labour Commissioner & Competent authority
MW Act 1948
Chhattisgarh Raipur

Schedule-B								
Employments in 45 schedule employments Part-I								
(Date 01.04.2020 to 30.09.2020)								
S.N	Category	Zone Name	Basic wages in Rs.		Dearness Allowance in Rs.		Total wages in Rupees	
			Per month	Per Day	Per month	Per Day	Per months	Per Day
1	Unskilled	A	8320	320	1060	40.77	9380	361
		B	8060	310	1060	40.77	9120	351
		C	7800	300	1060	40.77	8860	341
2	Semi-Skilled	A	8970	345	1060	40.77	10030	386
		B	8710	335	1060	40.77	9770	376
		C	8450	325	1060	40.77	9510	366
3	Skilled	A	9750	375	1060	40.77	10810	416
		B	9490	365	1060	40.77	10550	406
		C	9230	355	1060	40.77	10290	396
4	Highly Skilled	A	10530	405	1060	40.77	11590	446
		B	10270	395	1060	40.77	11330	436
		C	10010	385	1060	40.77	11070	426

Sd/-
(Sonmani Bora)
I.A.S
Labour Commissioner & Competent authority
MW Act 1948
Chhatishgarh Raipur

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.04.2020 से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
महँगाई भत्ते की दरें



कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2020/1901 दिनांक 16.03.2020 के अनुसार जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 324 रहा है, जिसके कारण गत छःमाही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311.00 (2001=100 जनवरी 2019 से जून 2019 के आधार आँकड़े) के ऊपर (324-311) 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 के अनुसार अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 के आंकड़ों के ऊपर प्रति छःमाही में हुई औसत वृद्धि पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 20 रुपये के मान से देय होगा। परिणामस्वरूप 20 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 260 या प्रतिदिन रुपये 10.00 (26 दिन के मान से) परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक देय है। (अनुसूची - "ख")

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **सोनमणि बोरा**, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची-"ग" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक देय है।



(सोनमणि बोरा)

आई.ए.एस.

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट- "अ"

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग- "एक")

क्र०	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन

23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय संवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुरा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/वुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	फयूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

टीप :- श्रम विभाग, छ0ग0 शासन द्वारा अनुसूचित नियोजनों की सूची में समय-समय पर शामिल नियोजन पर भी न्यूनतम वेतन की दरें प्रभावशील होगी।

अनुसूची-“ख”
अनुसूचित नियोजन भाग-एक के 45 नियोजन
(दिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020 तक)

(दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में		जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	800.00	30.77	9120.00	350.77 (351)	अ	8320.00	320.00	1060.00	40.77	9380.00	360.77 (361)
		ब	8060.00	310.00	800.00	30.77	8860.00	340.77 (341)	ब	8060.00	310.00	1060.00	40.77	9120.00	350.77 (351)
		स	7800.00	300.00	800.00	30.77	8600.00	330.77 (331)	स	7800.00	300.00	1060.00	40.77	8860.00	340.77 (341)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00	800.00	30.77	9770.00	375.77 (376)	अ	8970.00	345.00	1060.00	40.77	10030.00	385.77 (386)
		ब	8710.00	335.00	800.00	30.77	9510.00	365.77 (366)	ब	8710.00	335.00	1060.00	40.77	9770.00	375.77 (376)
		स	8450.00	325.00	800.00	30.77	9250.00	355.77 (356)	स	8450.00	325.00	1060.00	40.77	9510.00	365.77 (366)
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	800.00	30.77	10550.00	405.77 (406)	अ	9750.00	375.00	1060.00	40.77	10810.00	415.77 (416)
		ब	9490.00	365.00	800.00	30.77	10290.00	395.77 (396)	ब	9490.00	365.00	1060.00	40.77	10550.00	405.77 (406)
		स	9230.00	355.00	800.00	30.77	10030.00	385.77 (386)	स	9230.00	355.00	1060.00	40.77	10290.00	395.77 (396)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	800.00	30.77	11330.00	435.77 (436)	अ	10530.00	405.00	1060.00	40.77	11590.00	445.77 (446)
		ब	10270.00	395.00	800.00	30.77	11070.00	425.77 (426)	ब	10270.00	395.00	1060.00	40.77	11330.00	435.77 (436)
		स	10010.00	385.00	800.00	30.77	10810.00	415.77 (416)	स	10010.00	385.00	1060.00	40.77	11070.00	425.77 (426)

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-“अ” तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।



(सोनमणि बोरा)

आई.ए.एस.

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर